संख्या– 144/68–5–2020

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उ0प्र0 लखनऊ ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक: 06 मई, 2020

विषयः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं हेतु भोजन सामग्री, शिक्षण सामग्री एवं दैनिक उपभोग की सामग्री की आपूर्ति ई–टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक–के0जी0बी0वी/3–315/5636/2019–20, दिनांक 03.02.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण भोजन सामग्री, शिक्षण सामग्री एवं दैनिक उपभोग की सामग्री कतिपय शर्तों के अधीन एक ही फर्म को अधिकतम 03 वर्ष तक समान दर पर आपूर्ति किये जाने हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि बिड डाक्यूमेण्ट में यदि समय बढाये जाने की व्यवस्था की गयी है, तो उसके अनुसार समय बढाये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग द्वारा जो रेट कान्ट्रैक्ट किये जाते हैं, उनके संबंध में प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 के चैप्टर–16 Renewal of Rate Contracts के प्रस्तर–16.23 में निम्नवत व्यवस्था है :–

"16.23 It should be ensured that new Rate Contracts are made operative right after the expiry of the existing Rate Contracts without any gap for all rate contracted items. In case, however, it is not possible to conclude new Rate Contracts due to some special reasons, timely steps are to be taken to extend the existing Rate Contracts with same terms, conditions etc. for a suitable period, with the consent of the Rate Contracts holders. Rate Contracts of the firms/companies, who do not agree to such extension are to be left out. Period of such extension should not be more than 3 (three) months. Also, while extending the existing Rate Contracts, it shall be ensured that the price trend is not lower."

3– उक्त वर्णित व्यवस्था के कम में प्रश्नगत प्रकरण में वर्ष 2019–20 में ई–टेण्डरिंग के माध्यम से चयनित फर्म का अनुबन्ध अधिकतम आगामी 03 माह तक इस शर्त के साथ बढाया जा सकता है कि प्रश्नगत निविदा की अवधि पूर्व में नहीं बढायी गयी है। विभाग द्वारा इस विस्तारित समयावधि में निविदा की कार्यवाही पूर्ण करा ली जाय।

4– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।